न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 26 / 2025 **दायर दिनांकः 13.10.2025**

उनवान

1. राकेश कुमार आयु 48 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति अहीर निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति सहरिया निवासी गन्दोलिया हाल मुकाम नयागांव (बजरंगगढ़) तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
प्रार्थीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर
अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।

निर्णय दिनाकः—31.12.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अटरू पटवार हल्का अटरू तहसील अटरु जिला बारां (राज.) में आराजी खाता संख्या 473 का खसरा नं. 1990 / 337 का रकबा 2.56 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.56 हैक्टर आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल अटरू पटवार हल्का अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में आराजी खाता संख्या 212 का खसरा नं. 271 का रकबा 0.43 है0, खसरा नं. 272 का रकबा 0.46 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.89 हैक्टर आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी को प्रार्थी ने सन 1999 में आराजी के पूर्व खातेदार बंदू खां से क्रय किया था। खसरा नं. 247 की दक्षिण दिशा की मेड के लगवा प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी के

खसरा नं. 271 में होकर पूर्व से ही रास्ता बना हुआ था, इसी रास्ते से होकर पूर्व खातेदार व क्रय करने के पश्चात से प्रार्थी इसी रास्ते से होकर अपने खेत में आता जाता रहा है। संलग्न नजरी नक्शे में रास्ते को A से B मार्क से प्रदर्शित किया गया है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है। प्रार्थी सन 1999 में आराजी क्रय करने के पश्चात से ही खसरा नं. 247 की दक्षिण दिशा की मेड के लगवा प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी के खसरा नं. 271 में होकर बने रास्ते से होकर प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित अपने स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी में आता–जाता रहा है एवं अपने कृषि यन्त्र एवं कृषि उपज लाता ले जाता रहा है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्ण तरीके से करता चला आ रहा था। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा दिनांक 28/09/2025 को उक्त रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और प्रार्थी को उक्त रास्ते से निकलने से मना कर दिया और लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हुआ और धमकी दी की दोबारा यहाँ होकर निकले तो जान से मार दूंगा। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी के खेत पर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर देने से प्रार्थी को अपने खेत में जाने व कृषि यन्त्र लाने ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के खेत पर जाने का यही एक मात्र रास्ता है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खेत पर जाने का रास्ता अवरुद्ध कर देने से प्रार्थी की खेती बाडी प्रभावित हो रही है। प्रार्थी सदैव से ही उक्त रास्ते में होकर अपनी आराजी को काश्त करने हेतु आता–जाता रहा है जिसे कभी भी किसी ने नहीं रोका लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से अप्राथी क्रम 1 ने प्रार्थी के खेतों पर जाने के उक्त रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु पूर्व से खसरा नं. 247 की दक्षिण दिशा की मेड के लगवा प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी के खसरा नं. 271 में होकर नजरी नक्शे में वर्णित A से B स्थान पर 12 फीट चौड़े रास्ते को जिसकी लम्बाई लगभग 50 फीट है जो कि प्रार्थी के खेत खसरा न. 1990/337 तक जाता है को राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में तरमीम करवाना चाहता है। जिसके लिए प्रार्थी मुताबिक आदेश राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण दिनांक 28/09/2025 को अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा खसरा नं. 1990/337 में होकर बने रास्ते को अवरुद्ध कर देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में बमुकाम उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू को अप्रार्थी क्रम 2 बनाया है। आराजी ग्राम गन्दोलिया तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय

न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी खसरां न. 1990/337 गन्दोलिया में आने जाने हेतु पूर्व से खसरा न. 271 में होकर बने रास्ते जिसे संलग्न नजरी नक्शे में A से B स्थान पर लाल स्याही से दर्शाया गया है को खुलासा करवाया जाकर 12 फुट चौड़े आम रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड के नजरी नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी क्रम 2 को प्रदान किये जाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 6 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 8 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मृद नं. 9 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 10 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 11 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 12 का जवाब बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जावेगा। प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा करे।

प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा निम्न राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। जो इस प्रकार है– वाके ग्राम/माल अटरू की आराजी खाता संख्या 473 का खसरा नं. 1990/337 का रकबा 2.56 हैक्टर में जाने का रास्ता खसरा नं. 271 का रकबा 0.43 हैक्टर में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे के A स्थान से B स्थान तक 12 फीट चौड़ा रास्ता रहेगा। उक्त राजीनामा के आधार पर राजस्व नक्शे में रास्तें के इन्द्राज का अंकन करने में हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नही है। उक्त राजीनामा हम पक्षकारान ने बिना किसी दाब दबाव के निष्पादित किया है।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि पक्षकारान का राजीनामा स्वीकार कर राजीनामा के आधार पर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण की पहचान श्री भीमराज नागर एड0 द्वारा की गई तथा अप्रार्थी क्रम 1 की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल अटरू के खाता संख्या 473 के ख0नं0 1990/337 का रकबा 2.56 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 2.56 है0 आराजी प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा. गन्दोलिया के खाते दर्ज है तथा ग्राम एवं माल अटरू के खाता संख्या 212 के ख0नं0 271 का रकबा 0.43 है0 व ख0नं0 272 का रकबा 0.46 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 है० आराजी अप्रार्थी क्रम 1 देवीलाल पुत्र अमरलाल हिस्सा पूर्ण जाति सहरिया सा. गन्दोलिया खाते दर्ज है। इस संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर प्रार्थी के ग्राम एवं माल अटरू के खाता संख्या 473 के ख0नं0 1990/337 का रकबा 2.56 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 2.56 है0 में जाने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 के ग्राम एवं माल अटरू के खाता संख्या 212 के ख0नं0 271 का रकबा 0.43 है0 मे से संलग्न नक्शे के A स्थान से B स्थान तक उत्तर दिशा की मेड से होकर 12 फीट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अनुतोष चाहा गया है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर आपसी सहमति से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::<u>क्रियात्मक आदेश</u> ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल अटरू के खाता संख्या 473 के ख0नं0 1990/337 का रकबा 2.56 है0 तक आने—जाने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 के ग्राम एवं माल अटरू के खाता संख्या 212 के ख0नं0 271 का रकबा 0.43 है0 मे से 12 फुट चौडा व 150 फुट लम्बा रास्ता उत्तर दिशा की मेड के पास होकर अर्थात 1800 वर्ग फुट भूमि की नियमानुसार DLC दर की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 1 को

दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार पीपलीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां